

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3421
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

विशिष्ट उच्चतर शिक्षण योजनाओं के लिए वार्षिक बजट का आवंटन

†3421. श्री हरीभाई पटेल:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान विशिष्ट उच्चतर शिक्षण योजनाओं नामतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, लघु अनुसंधान परियोजनाओं, आरयूएसए, इंप्रेस और इंप्रिंट के अंतर्गत वार्षिक बजट आवंटन और वास्तविक व्यय की राशि कितनी है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उच्चतर शिक्षा पर समग्र रूप से कितना वार्षिक व्यय किया गया है और सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में वर्षवार यह राशि केन्द्रीय बजट का कितना प्रतिशत है; और
- (ग) देश में विशेषकर गुजरात में उच्चतर शिक्षा में सुधार के लिए सरकार की विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): विगत 5 वर्षों और वर्ष 2024-25 के दौरान विशिष्ट उच्च शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत वार्षिक बजट आवंटन और वास्तविक व्यय अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(ख): “शिक्षा संबंधी बजटीय व्यय का वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 हेतु विश्लेषण” के अनुसार, भारत में शिक्षा संबंधी लोक व्यय (केंद्र और राज्य) वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.84% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 4.12% हो गया है। शिक्षा संबंधी बजटीय व्यय के विश्लेषण के अनुसार केंद्र द्वारा शिक्षा पर व्यय और सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी का प्रतिशत निम्नानुसार है:

	शिक्षा संबंधी व्यय (करोड़ रुपये में)	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा संबंधी व्यय
2017-18	1,68,322	1.09
2018-19	1,82,139	0.96
2019-20	2,02,991	1.01
2020-21(सं.अ.)	2,06,973	1.04
2021-22(ब.अ.)	2,38,469	1.02

(ग): एनईपी 2020 की घोषणा के पश्चात उच्चतर शिक्षा में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं। उच्च शिक्षा में, विभिन्न पहलें/सुधार जैसे राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा (एनएचईक्यूएफ) जैसे दिशानिर्देश / विनियमनों के साथ अवर स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क; उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम में बहु प्रवेश और निकास; उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में परिवर्तित करना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को संचालित करना; प्रत्येक छात्र का स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो पूर्व-प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन; स्वयम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की अनुमति; विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मौजूदा जनशक्ति के कौशल को बढ़ाने और कौशल उन्नयन एवं पुनः कौशल विकसित करने के उद्देश्य से नए स्वयम प्लस पोर्टल का शुभारंभ; समर्थ के माध्यम से प्रवेश से डिग्री प्रदान करने तक उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रशासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण; एक शैक्षणिक वर्ष में दो बार प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुमति देना; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रतिष्ठा में वृद्धि आदि जैसी विभिन्न पहलें/सुधार किए गए हैं।

सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित वाले क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में आरयूएसए का तीसरा चरण जून 2023 में शुरू किया है। इस योजना के तहत, विगत पांच वर्षों के दौरान, गुजरात को 36.24 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) में पूर्ण पहुँच, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं। चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए एनईपी 2020 के कार्यान्वयन हेतु केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

.....

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री हरीभाई पटेल द्वारा 'विशिष्ट उच्चतर शिक्षण योजनाओं के लिए वार्षिक बजट का आवंटन' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न

पिछले 5 वर्षों और वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान और वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा (करोड़ रुपए में)

2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24		
अ.	सं.अ./अ. अनु.	वास्त विक	ब.अ.	सं.अ. / अ.अनु.	वास्त विक	ब.अ.	सं.अ. / अ.अनु.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ./ अ.अनु.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ./ अ.अनु.	वास्त
00.0	1380.00	1277.82	300.00	166.00	165.20	3000.00	363.06	242.34	2042.95	360.67	360.51	1500.00	500.00	186
00	53.00	47.20	50.00	0.00	0.00	25.00	3.54	3.54	10.00	10.00	10.00	5.00	1.00	
00	25.50	18.75	0.00	12.00	12.00	25.00	23.00	0.00	17.26	0.25	0.09			
	3.11	3.11		0.20	0.20		1.35	1.35		0.94	0.94		1.13	1.
	2.64	2.64		0.08	0.08		0.00	0.00		0.00	0.00		0.0050	0.0

संख्या 3421 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।